तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.14/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30.9.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (मो. मंसुर पुत्र मा. इकबाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् के पास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (शशि तिवारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म धनलक्ष्मी ट्रेडर्स, 156, पार्श्वनाथ नगर, 1st परिहार नगर के सामने, जोधपुर–342001) के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या– 3(तीन) नरसिंह लाल व्यास, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म रामदेव एजेन्सी, खसरा संख्या 22, प्लॉट नं. 269 Shiv Sagar Magara, Punjala, Jodhpur-342001) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.3.2023 को फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् के पास, सिरोही में प्रतिवादी मो. मुंसूर पुत्र मो. इकबाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) का नमूना संख्या S-2076 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./820/Act/2023/863 दिनांक 10.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया। जबकि प्रतिवादी संख्या–3 (तीन) नरसिंह लाल व्यास को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में बहस हेतु में सुनवाई तिथि 25.9.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित प्रक्रिया के अनुसार नमूना नही लिया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हींग (रिद्दी ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही विधिवत व मौके पर सम्पादित नही की है। सेम्पल को टेम्पर विथ कर जांच हेतु भेजा गया है व जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नही भेजी है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नमूनें के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त खाद्य पदार्थ घी (रिद्दी ब्राण्ड) के निर्माता नही है, उन्होनें जिस पैकिंग अवस्था में हींग को खरीदा है उसी अवस्था में बेचा है। मिथ्याछाप खाद्य हेतु निर्माता जिम्मेदार है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे। ....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:12:50 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.14/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म ी तामिलमें जारी हुए
	हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.3.2023 को सायं 3.30 पी.एम. पर फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् के पास, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मो. मंसूर पुत्र मो. इकबाल (प्रतिवादी संख्या–1) उपस्थित मिले। जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) आदि विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मो. मंसूर को उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की तथा फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् के पास, सिरोही की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के 20 पैक्ड जारों (प्रत्येक 100 ग्राम) में से Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 100 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 800/– (रुपये आठ सौ मात्र) विक्रेता मो. मंसूर पुत्र मो. इकबाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2076, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा महेश परिहार, कार्मिक, ...लगातार	

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:12:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.14/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 21.3.2024 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् के पास, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मो. मंसूर पुत्र मो. इकबाल से खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के नमूना संख्या S-2076 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./820/Act/2023/863 दिनांक 10.4.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के पैक्ड जारों को प्रतिवादी संख्या–1 (मो. मंसूर पुत्र मो. इकबाल) की फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स द्वारा फर्म धनलक्ष्मी ट्रेडर्स से जरिये बिल पैक्ड अवस्था में क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या–2 (शशि तिवारी) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या–2 (शशि तिवारी) की प्रोपराईटरी फर्म धनलक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के पैक्ड जारों को फर्म रामदेव एजेन्सी से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या–3 (नरसिंह लाल व्यास) की प्रोपराईटरी फर्म है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) का नमूना मूल कम्पनी पैक्ड अवस्था में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) की निर्माता व पैकर फर्म रामदेव एजेन्सी, खसरा संख्या 22, प्लॉट नं. 269 Shiv Sagar Magara, Punjala, Jodhpur-342001 है, जो प्रतिवादी नरसिंह लाल व्यास की प्रोपराईटरी फर्म है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता रामदेव एजेन्सी, खसरा संख्या 22, प्लॉट नं. 269 Shiv Sagar Magara, Punjala, Jodhpur-342001 दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है व उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। .....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:12:50 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु[illegible] की तामिलमें [illegible]ारी हुए

F.S.S.Act Case No.14/2024

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Premium Compounded Asafoetida Hing (Ridhhi Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी नरसिंह लाल व्यास, प्रोपराईटर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म रामदेव एजेन्सी, खसरा संख्या 22, प्लॉट नं. 269 Shiv Sagar Magara, Punjala, Jodhpur-342001 पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी नरसिंह लाल व्यास को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी नरसिंह लाल व्यास को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:12:50 IST
Reason: SelfAttested